रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022021-225132
CG-DL-E-12022021-225132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2021/माघ 23, 1942
No. 602] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2021/MAGHA 23, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2021

सं. 58 / 2015–2020

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के अध्याय–1 और अध्याय–2 के तहत आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) से संबंधित प्रावधानों में संशोधन।

का.आ. 656(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के अध्याय–1 और अध्याय–2 के तहत आईईसी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करती है।

2. विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के निम्नलिखित पैराओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः

मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ
1.11 ई–आईईसी (इलैक्ट्रॉनिक आयातक–निर्यातक कोड) जारी करना।	**1.11** ई–आईईसी (इलैक्ट्रॉनिक आयातक–निर्यातक कोड)
(क) इस नीति के पैरा 2.05 में यथा वर्णित भारत से/में निर्यात/आयात के लिए आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) अनिवार्य है। विदेश व्यापार महानिदेशालय	(क) इस नीति के पैरा 2.05 में यथा वर्णित भारत से/में निर्यात/आयात के लिए आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) अनिवार्य है। विदेश व्यापार महानिदेशालय

इलेक्ट्रॉनिक फार्म में आयातक निर्यातक कोड (ई–आईईसी) जारी करता है। ई–आईईसी जारी करने के लिए डीजीएफटी के वेबसाइट (http//:dgft.gov.in) पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और नेट बैंकिग के माध्यम से अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तथापि, आवेदक डिजिटल रूप में विधिवत रुप से हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत करेगा।	इलेक्ट्रॉनिक फार्म में आयातक निर्यातक कोड (ई–आईईसी) जारी करता है। ई–आईईसी जारी करने के लिए डीजीएफटी के वेब पोर्टल (http//:www.dgft.gov.in) पर सीधे आवेदन किया जा सकता है।
2.05 आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी)	**2.05** आयातक–निर्यातक कोड **(आईईसी) / (ई–आईईसी)**
(ग) आईईसी के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है और प्रक्रिया पुस्तक में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक द्वारा आईईसी प्राप्त किया जा सकता है।	(ग) आईईसी के लिए आवेदन प्रक्रिया और आईईसी में अद्यतनीकरण पूर्ण रूप से ऑनलाइन है और प्रक्रिया पुस्तक में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक द्वारा आईईसी प्राप्त किया जा सकता है।

3. विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के अध्याय–2 के पैरा 2.05 के तहत निम्नलिखित उप–पैरा निम्नानुसार शामिल किए जाते हैं:

एफटीपी पैरा सं.	जोड़ा गया पाठ (नया)
2.05 (घ)	एक आईईसी धारक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके आईईसी में विवरण प्रत्येक वर्ष, अप्रैल–जून अवधि, के दौरान इलैक्ट्रोनिक रूप से अद्यतन किए जाएं। ऐसे मामलों में, जहां आईईसी के विवरण में कोई परिवर्तन न हो तो इसकी भी ऑनलाइन पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है।
2.05 (ङ.)	एक आईईसी को निष्क्रिय किया जाएगा, यदि उसे निर्धारित समय में अद्यतन नहीं किया जाता है। एक निष्क्रिय किए गए आईईसी को उसके सफल अद्यतनीकरण होने पर सक्रिय किया जा सकता है। हालांकि, इसमें एफटीपी के किसी भी अन्य प्रावधानों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
2.05 (च)	एक आईईसी को जांच के लिए भी चिन्हित किया जा सकता है। आईईसी धारक (धारकों) को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सिस्टम द्वारा जिन जोखिमों को चिन्हित किया गया है उनका समय पर निराकरण किया जाए; अन्यथा आईईसी निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

4. विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के उप पैराओं 1.11(ख), 1.11(ग) और 1.11(घ) को हटा दिया गया है।

इस अधिसूचना का प्रभावः विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के अध्याय–1 और अध्याय–2 में आईईसी संबंधी प्रावधानों को संशोधित किया/हटाया गया है और इसमें नए प्रावधानों को शामिल किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/32/एएम–19/पीसी–2(बी)/भाग–I/ई–21759]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2021

No. 58/2015-2020

Subject : Amendment of Importer-Exporter Code (IEC) related provisions under Chapter-1 and Chapter-2 of Foreign Trade Policy, 2015-2020 – reg.

S.O. 656(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the IEC related provisions under Chapter-1 and Chapter-2 of Foreign Trade Policy, 2015-2020.

2. Following paragraphs of Foreign Trade Policy, 2015-2020 are amended as below:

Existing Text	Amended Text
1.11 Issue of e-IEC (Electronic-Importer Exporter Code)	**1.11** e-IEC (Electronic-Importer Exporter Code)
(a) Importer Exporter Code (IEC) is a mandatory for export/import from/to India as detailed in paragraph 2.05 of this Policy. DGFT issues Importer Exporter Code in electronic form (e-IEC). For issuance of e-IEC an application can be made on DGFT (http//:dgft.gov.in). Applicant can upload the documents and pay the requisite fee through Net banking. Applicant shall, however, submit the application duly signed digitally.	(a) Importer Exporter Code (IEC) is mandatory for export/import from/to India as detailed in paragraph 2.05 of this Policy. DGFT issues Importer Exporter Code in electronic form (e-IEC). Application for issuance of e-IEC can be made directly on the DGFT web portal (http**s**//www. dgft.gov.in).
2.05 Importer-Exporter Code (IEC)	**2.05** Importer-Exporter Code (IEC)**/(e-IEC)**
(c) Application process for IEC is completely online and IEC can be generated by the applicant as per the procedure detailed in the Handbook of Procedure	(c) Application process for IEC and **updation in IEC** is completely online and IEC can be generated by the applicant as per the procedure detailed in the Hand book of Procedure

3. The following sub-paragraphs are inserted under para 2.05 of Chapter-2 of Foreign Trade Policy, 2015-2020 as under:

FTP Paragraph No.	Text added (New)
2.05(d)	An IEC holder has to ensure that details in its IEC is updated electronically every year, during April-June period. In cases where there are no changes in IEC details same also needs to be confirmed online.
2.05(e)	An IEC shall be de-activated, if it is not updated within the prescribed time. An IEC so de-activated may be activated, on its successful updation. This would however be without prejudice to any other action taken for violation of any other provisions of the FTP.
2.05(f)	An IEC may be also be flagged for scrutiny. IEC holder(s) are required to ensure that any risks flagged by the system is timely addressed; failing which the IEC shall be deactivated.

4. The sub paras 1.11(b), 1.11(c) and 1.11(d) of Foreign Trade Policy, 2015-2020 are deleted.

Effect of this Notification: IEC related provisions in Chapter-1 and Chapter-2 of Foreign Trade Policy, 2015-2020 are amended/deleted and new provisions inserted.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/32/AM-19/PC-2[B]/Part-I/E-21759]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.02.12 22:50:24 +05'30'